



दिनांक: 27-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.06.2024 को 01 वारन्टी अभियुक्त **हसीन पुत्र वकील निवासी शाहपुर कस्बा भगवानपुर हरिद्वार सम्बन्धित वाद सं0 1359/20 मु0अ0सं0 210/19 धारा 60(1) आबकारी अधि0 चालानी थाना बिहारीगढ को गिरफ्तार किया गया।** अभियुक्त हसीन उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभियुक्त हसीन पुत्र वकील निवासी शाहपुर कस्बा भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 268/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट
- मु0अ0सं0 274/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट
- मु0अ0सं0 210/2019 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ



दिनांक: 27 -06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि थाना सरसावा पर दिनांक 01.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल द्वारा चैकिंग के दौरान 1. रजत पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम रायपुर थाना बिलासपुर यमुनानगर हरियाणा, 2. मनीष पुत्र अचल सिंह निवासी रामनगर वर्कशाप जगाधरी यमुनानगर हरियाणा को 102 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके समबन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 85/2024 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट बनाम रजत एवं मनीष उपरोक्त एवं वांछित अभियुक्त शिवकुमार पुत्र अचल सिंह निवासी रामनगर वर्कशाप जगाधरी यमुनानगर हरियाणा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड द्वारा एवं थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.06.2024 को उ0नि0 श्री ललित कुमार द्वारा मय हमराही फोर्स के मु0अ0सं0 85/2024 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट के वांछित अभियुक्त **शिवकुमार पुत्र अचल सिंह निवासी रामनगर वर्कशाप जगाधरी यमुनानगर हरियाणा** को शाहजहाँपुर गुरुद्वारे के पास से 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभि0 शिवकुमार उपरोक्त के खिलाफ धारा 4/25 A.Act की वृद्धि की गयी गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त ने बताया गया कि मैंने यह चाकू जगाधरी से किसी अन्जान व्यक्ति से खरीदा था जिसका मैं लोगो को डराने व धमकाने और रूतबा दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। पैसे कमाने के लिए मैं स्मैक तस्करी के काम में लिप्त था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शिवकुमार पुत्र अचल सिंह निवासी रामनगर वर्कशाप जगाधरी यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 ललित कुमार कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. यूटी उ0नि0 रणवीर सिंह सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 894 अंकित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 1210 रूपये नगद, पर्चा सट्टा व 01 पैन बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं जुआ/सट्टा की खाईबाड़ी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त **वहीद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गोटेशाह की चुंगी याइयाशाह थाना मंडी जिला सहारनपुर** को बुड्डीमाई चौक ट्रांसफार्मर के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्त से 01 पर्चा सट्टा, 01 पैन व 1210 रूपये नगद बरामद हुए। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामद के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 193/2024 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त वहीद उपरोक्त ने बताया कि सट्टा करने के काम से मुझे अच्छे रूपयो की कमाई हो जाती है। आज मैं सट्टे की खाईबाड़ी कर रहा था कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ वहीद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गोटेशाह की चुंगी याइयाशाह थाना मंडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ एक अदद पर्चा / एक अदद पैन/ 1210 रूपये नगद

अभियुक्त वहीद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 25/2013 धारा 3/4 दहेज अधि0 व 498ए/323 भादवि थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 193/24 धारा 13 जी एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



प्रेस नोट

दिनांक: 27/06/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला को बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहर्ता सकुशल बरामद।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.24 को वादी की तहरीर पर बाबत वादी की पत्नी (उम्र करीब 35 वर्ष) को अभियुक्त शारिक पुत्र शफीक नि० ग्राम बोडपुर थाना गंगोह सहारनपुर बहला फुसलाकर साथ ले गया है। उक्त सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर पर मु०अ०सं०- 249/24 धारा 366 भा.द.वि बनाम शारिक पुत्र शफीक नि० ग्राम बोडपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा उक्त अभियोग के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **शारिक पुत्र शफीक नि० ग्राम बोडपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर नानौता चौक कस्बा गंगोह से मय पीडिता / अपहर्ता के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शारिक उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शारिक पुत्र शफीक नि० ग्राम बोडपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

(1) मु०अ०सं०- 249/24 धारा 366 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- (1) उ०नि० अशोक सिंह सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) है०का० 362 अमित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) है०का० 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (4) म०का० 1925 प्रीति थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.2024 को वादी श्री तौसीक पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला हमीदा कालोनी यमुना नगर थाना यमुना नगर जिला यमुना नगर हरियाणा हाल पता सलमानी कालोनी शाईस्ता मस्जिद के पास की तहरीर बाबत वादी का भाई तौफीक पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला हमीदा कालोनी यमुना नगर थाना यमुना नगर जिला यमुना नगर हरियाणा जो कि दिनांक 18-06-2024 को अपने छोटे भाई तौसीक के पास सलमानी कालोनी शाईस्ता मस्जिद के पास किराये पर अब्दुल कलाम के मकान में थाना मण्डी सहारनपुर में रहता है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा लात घूसो व ईंटो से मार पीट करने व जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 248/24 धारा 147/304 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 1.अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 रफीक निवासी खाताखेडी सराय थाना मंडी स0पुर, 2.भानू उर्फ वाहिद पुत्र इरशाद उर्फ सादा उर्फ शहजाद निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर, 3.साकिब पुत्र इमरान निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर, 4.अफजल पुत्र नाजिर निवासी सुहैला कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर को खाताखेडी मैन गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संयुक्त पूछताछ में चारों अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि दिनांक 18.06.2024 की रात्रि में लगभग 11.30 बजे तौफीक नाम के व्यक्ति की हमसे बहस हो जाने के कारण वाद विवाद होने पर हम सभी ने मिलकर उसके ईंट, लाठी-डंडो व लात घूसों से पिटाई कर दी और हम वहां से भाग गये। बाद में जानकारी हुई कि अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है तो हम सभी घर से भाग गये। आज पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 रफीक निवासी खाताखेडी सराय थाना मंडी स0पुर
2. भानू उर्फ वाहिद पुत्र इरशाद उर्फ सादा उर्फ शहजाद निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर
3. साकिब पुत्र इमरान निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर
4. अफजल पुत्र नाजिर निवासी सुहैला कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 2-व0उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 3-है0का0 548 रविन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 4-है0का0 459 पवन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 5-है0का0 516 सोनू थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 6-का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 7-का0 2342 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर